न्यायालय जिला कलक्टर, बैरथल - तिजारा
प्रकरण संख्या - 15/151/2025
उनवान - दिनेश कुमार बनाम सरकार वगैरह
Bhimsingh - III

17/10/2025 आज यह पत्रावली फरीकैन वकील द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र के आधार पर निपटारे तिथि में पूर्व तलाश की जाकर प्रकट हुई। वकील फरीकैन द्वारा मोहकमे तिनाह 15/10/2025 की पालना में 2,60,000/- रु की राशि की अमानतगत व इसी मकान का सुपुर्दगीनामा पेश किया है। फरीकैन द्वारा पेश की गयी अमानतगत तस्दीक किया जाता है। मोहकमा वाकिफ निपटारा किये जाने। थानाधिकारी तिजारा की तरफ पाबंद हो। यदि जब्त शुदा माल किसी अन्य प्रकरण में वांछित न होवे तथा सुपुर्दकर्ता को सुपुर्दगी सिंह कुमार पुत्र दिनेश सिंह निवासी डीडवा तहसील कलक्टर तिजारा थाना थाना कोटकासिम जिला अलवर को सुपुर्दगी के दिशानिर्देश - भूमि प्रकरण में जब्तशुदा माल की सुपुर्दगी में देने के आदेश दिये जाते हैं। या कुछ भी ऐसी स्थिति में प्रकरण में कार्यवाही रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्रावली निस्तारित घोषित की जाकर तकमील दाखिल दफ्तर किया जाये।

जिला मजिस्ट्रेट
बैरथल-तिजारा